संख्या–524/44-2-137/1992

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र में समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 1993

विषय :– सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1882/44-2/1992, दिनांक 3 दिसम्बर, 1992 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि जिस निजी बैंक की अंश पूंजी में 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के स्वामित्व की है तो उस निजी बैंक पर उक्त शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1992 लागू न होगा।

भवदीय,
[महेश कुमार गुप्ता]
संयुक्त सचिव।

संख्या–524/44-2-137/1992 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव।
(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त लेखा अनुभाग–1

आज्ञा से,
[महेश कुमार गुप्ता]
संयुक्त सचिव।